(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भानकी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 30 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी भानकी पत्नी लादूराम मेघवाल पता पटवार भवन के पीछे, जैतीवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.12.17 में उसके द्वारा (1) ख.नं.506, 507, 509,510 वर्ष 2061–62 वि.सं. 2020 जमाबंदी म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	